

६९ इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

उत्तरांक अ०/ब्र०अ०-भ०५८/जोन-२/२०१०-११ दिनांक ०७/०४/२०१२
यिग्नियमितीकरण

४८ किनेवारिटीकरण लघुन नार नियोजन हथा विक्रम अधिनियम 1973 की शारा 32 के अन्तर्गत नियोजित किये जा रहे हैं, किन्तु उर्थ दह न सगाइभा याहिये कि उस भूगि के राखन्य में जिस पर व्यवसायिक शमन भानचित्र विनियमित किया जा रहा है, इससे किसी प्रदान या किसी रथानीय निकाब या इशारा स्थानीय अधिकारी या लाकित्र अध्यवा फर्म के गालियाना आधिकारी पर धिल्ली का कोई अक्र फँडग अर्थात् यह अनुमति धिल्ली के मिलियत से स्थानित के अधिकारी ले उल्लंघ कोई प्रभाय न रखेगी।


श्रीमती प्रकाशवत्ती गुप्ता, मौलग गुप्ता, श्री विनय गुप्ता एवं श्री विश्वल गुप्ता रथल इलाहाबाद इम्युयमेन्ट ड्रस्ट के भूखण्ड संख्या-४३ कासधेय रोड, इलाहाबाद जोग रंख्या। (2) के अनागत चारिंज अपराधिक शमन भानविल का दिनियमितीकरण निम्नाघित प्रतिवर्ण्यों के गद्दों छो जारी है।

- उम्प०८० नगर नियोजन एवं निकाल अधिनियम १९७३ की दारा १८ (१) के प्रणिदानों के अनुरूप पूर्णता प्रभाग पत्र प्राप्त होने के बचाव ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा। भवेन निर्मान एवं निकाल उपयोगिता २०३५ में उपयोगिता तार्थ—२.१.८ एवं ३.१.४ में निर्धारित भेकिया पूर्ण कर पूर्णता प्रभाग पत्र जारा करना आवश्यक है।
 - यह स्वीकृति अनन्तिक (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। रासी आपश्लक Mandatory Clearances/N.O.C के शर्त पूर्ण करने के बचाव निर्गत किए जाने वाले 'पूर्णता प्रयोग-पत्र' जारा करने के बदल ही इस अस्तित्व को वास्तविक स्वपद्वेष्ट गे लाया जा सकेगा।
 - स्थानित सम्बन्धी फिर्सी भी रिलाद पर नामनिव्र स्वतः निरस्ता समझा जाएगा।
 - रथड़ पर ४X३ फिट का एक बोर्ड जगत्कर स्वीकृति समझदौ विवरण अंकित करना होगा।
 - स्थल पर ०६ दृष्ट लगाने की तथा वृक्षों को झरा-भरा सखने का दायित्व अन्वेदक--पत्र का होगा।
 - रेनवालर हर्सोरिंग का बार्य ब्रेकावर के अनुसार चूर्ण कराकर भू-बर्ग जल छिपाया रो अनापत्ति प्राप्त। करना अनेवार्य होगा।
 - स्थल का अधिष्ठोग/उपयोग रलीफ्यु प्रस्तावना के अनुरूप ही किया जायेगा।
 - गानविह ने दर्शी आशमनीय भाग के स्वीकृत गानविह प्राप्त होने के १५ दिनों के अन्दर जपने हज़ेर-खार्व से रुक्तः धवर कराकर इविहिप्राप्त को अवगत कराना होगा, अन्यथा प्राथिकरण द्वारा उक्त भाग प्रकृत कर दिया जायेगा एवं इस पर होने वाला व्यव भू-राजल ले बकाये की सौंठि वस्तु लिया जायेगा। इस हेतु दिये गए शपथ पत्र दिनांक ०९.०१.२०१२ का असररा पालन करना होगा।
 - बेसमेन्ट के आशमनीय भाग को भी रव्वीकृत महानेत्र प्राप्त होने के १५ दिनों के अन्दर गिर्दी एवं बालू रो भवाक का प्राथिकरण को थावर द्वारा कराना होगा।
 - बेसमेन्ट का ऊपरोक्त सूचि पार्किं के प्रयोगज्ञ हेतु ही किया जायेगा, अन्यथा ली स्थिति मे ज्ञ०८० नगर नियोजन एवं निकाल अधिनियम १९७३ की सुसंगत धाराओं के तहत प्राप्ती कार्यवाही की जायेगी। जिसकी सम्भव्यता अपकी होगी।
 - आप हाला प्रासांगिक स्थान से राटे पौछे के भाग ने (Detach) मी निर्मान कारं किया जाय है, जिसका विनियोगिताकरण कराना आवश्यक होगा। इस हेतु स्वामित्व संसदी की निलेखी के साथ आवश्यक औपचारिकताये पूर्ण कराकर गान्धित्र स्वीकृत कराना आवश्यक हैगा।

Continued

11/11/2012
71619012

3454824.31



(A)


15.850

b1520

Sheet No.

1

2



SANCTIONED AND COMPOUNDING BUILDING PLAN OF PLOT NO. - 43
CROSSWAITH ROAD DISTT. ALLAHABAD DEVELOPED
BY - ALLAHABAD IMPROVEMENT TRUST - ALLAHABAD
OWNER - SMT - PRAKASH WATI GUPTA, SRI - VINAY GUPTA
SMT - NEELAM GUPTA, SRI - VISHAL GUPTA, SCALE - 1:100

Architects & Engineers
Mr. N. Islam Choudhury, A.W.A. Architects, Planning, Structural Design
Mr. D. Estimation, Valuation
360/192 A.M.D.S. Allahabad
Signature